Dr. Madan Paswan, History.
Class: B.A. Part-II (Hons.) P-IVth.

Lecture No. 25.
Date: 20.10.2020

Topic: भारत में मुस्लिम राज्य

13वीं सदी के आरम्भ में उत्तर भारत में मुस्लिम सामंतों के शासनाधीन प्रदेशों के संयोजन से एक एकीकृत राज्य का निर्माण हुआ, जिसकी राजधानी दिल्ली थे। यह एकीकृत मुस्लिम राज्य दिल्ली सल्तनत के नाम जाना जाता है। दिल्ली के सुल्तान भारत के अधिकांश को अपनी सत्ता के अधीन ले आये।

मुस्लिम विजय के बाद सामंती व्यवस्था का और भी विकास हुआ। सारी जमीन को सुल्तान की संपत्ति माना जाता था। युद्धों में मारे गये अथवा निर्वासित हिन्दू सामंतों की जमीनें भी सुल्तान के हाथों में ही चली गयी थी। सुल्तान की सत्ता को स्वीकार कर लेने और वफादारी की शपथ ले लेनेवाले कुछ स्थानीय भूस्वामियों की जमीनें उनके हाथ में ही बनी रही। उन्हें शाही खजाने में निश्चित कर जमा करना होता था।

किसानों की सारी काश्त जमीन के लिए राज्य को हरेक प्रकार के कर अदा करने होते थे। जमीन के कुछ भाग का कर अधिकारियों द्वारा वसूल किया जाता था और शाही खजाने में चला जाता था। जमीन के शेष भाग को सुल्तान मुस्लिम सामंतों के बीच अल्पावधि उपभोग के लिए वितरित कर देता था।

प्रत्येक वर्ष की जागीर का आकार उसके सैनिक पद के अनुरूप होता था। सामंत अपने इलाके से कर उगाहता था और इस प्रकार संचित धन से एक, पाँच या दस हजार सैनिकों की टुकड़ी को भाड़े पर रखता था। सुल्तान के आदेश पर वह अपनी टुकड़ी को लेकर सैनिक अभियानों में भाग लेता था। आरंभ में सामंत अपनी जागीर को विरासत में नहीं दे सकते थे। पदोन्नति या पदावनति की सूरत में उनका एक इलाके से दूसरे इलाके में तबादला होता रहता था और उसके साथ-साथ उनकी जागीर भी बदलती रहती थी। लेकिन कालांतर में ये जागीरें वंशागत हो गयी।

मुसलमान सल्तनत की आबादी का उच्चतम संस्तर बनाते थे - यह सैनिकों, अधिकारियों और सामंतों का संस्तर था। किसानों, दस्तकारों और व्यापारियों में अधिकांश हिन्दू थे। सभी गैर मुस्लिमों को जजिया नामक एक विशेष कर देना होता था जो इसका भरपूर उपभोग अपने राजशाही खजानों के उपभोग के लिए रखता था।